

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU	P.S. (थाना): SVB ROHTAK	Year (वर्ष): 2019
FIR No. (प्र.सू. सं.): 0011	Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 31/10/2019 17:01 hrs	

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Thursday Date from (दिनांक से): 31/10/2019 Date To (दिनांक तक): 31/10/2019

Time Period (समय अवधि): Pahar 5 Time From (समय से): 13:20 hrs Time To (समय तक): 13:20 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 31/10/2019 Time (समय): 16:30 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 014 Date and Time (दिनांक और समय): 31/10/2019 16:42 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 55 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): लघु सचिवालय सोनीपत,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): बलजीत

(b) Father's Name (पिताका नाम): कृष्ण चन्द

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
1	Present Address	किवाना, SAMALKHA, PANIPAT, HARYANA, INDIA

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	किवाना, SAMALKHA, PANIPAT, HARYANA, INDIA

2	Permanent Address	किवाना, SAMALKHA, PANIPAT, HARYANA, INDIA
---	-------------------	---

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9050502775

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	नरेश			1. कर्मचारी जन्म एवं मृत्यु, कार्यालय सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	प्रवीण			1. कर्मचारी जन्म एवं मृत्यु, कार्यालय सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में निरीक्षक विजिलैन्स सोनीपत श्रीमानजी निवेदन है कि मैं बलजीत पुत्र श्री कृष्ण चन्द वासी गांव किवाना थाना समालखा पानीपत का रहने वाला हूँ और दिहाडी मजदुरी का काम करता हूँ मेरे भाई प्रदीप ने अपने जीजा विजय कुमार वासी गांव झिन्झार गढी की लडकी प्रियन्सी को गोद लिया है जो मेरे भाई ने गोद ली लडकी प्रियन्सी के पिता व माता का रिकार्ड में बदलवाकर अपना व पत्नी का नाम दर्ज करवाने के लिये फाईल जन्म एवं मृत्यु कार्यालय नागरिक अस्पताल सोनीपत में दिनांक 16.9.2019 को जमा करवाई थी जो फाईल न0 1478 है मेरे द्वारा बार-2 जन्म एवं मृत्यु कार्यालय सोनीपत में जाने पर मुझे अब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला है मेरी फाईल पर कार्यवाही पूरी कर ली है लेकिन प्रमाण पत्र देने के लिये से कर्मचारी नरेश द्वारा 4000 रुपये रिश्वत मांगी थी जो अब प्रवीण द्वारा 5000 रुपये रिश्वत के मांगे हैं कहा है जब तक पैसे नहीं देगा तेरी फाईल मन्जूर नहीं होने दूंगा और उसको ऐसी जगह डाल दूंगा की ये काम कभी नहीं होगा दिनांक 14.10.19 को मेरे फोन 9050502775 पर अपने 9306542146 से मुझे पैसे लेकर अपना काम करवाने के लिये बुलाया जिसकी मेरे पास रिकार्डिंग है मैं रिश्वत देना नहीं चाहता नरेश व प्रवीण उपरोक्त के खिलाफ कार्यवाही की जाए रिकार्डिंग की सी0डी0 बनवाकर आपको दे दूंगा मैं अपने साथ 5000 रुपये लेकर आया हूँ हस्ता हिन्दी बलजीत 9050502775 कार्यवाही पुलिस आज मन निरीक्षक मु0न0 5/19 U/S 7 PC ACT PS SVB H रोहतक की तफतीश के सम्बन्ध में लघु सचिवालय सोनीपत मौजूद था कि इसी असना में ASI हरिशंकर 288 RTK ASI मनोज 1136 RWR EHC प्रवीण 616 RTK CT सुमित 1637 मुलाकी हुए जो मैं उनसे बातचीत कर ही रहा था कि इसी असना में श्री बलजीत S/O कृष्ण चन्द R/O किवाना थाना समालखा ने मुलाकी होकर यह दरखास्त पेश की जो दरखास्त हजा से सरेदस्त जुर्म 7 PC ACT 1988 का सृजद होना पाया जाता है लिहाजा तहरीर हजा बराए कायमी मुकदमा बदस्त ASI हरिशंकर के थाना भेजी जा रही है बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सुचित किया जावे मन नि0 मय हमराहीयान व मुदई के रवाना उपायुक्त कार्यालय सोनीपत का होता हूँ SPECIAL REPORT अफसरान बाला को भेजी जावे अज:- लघु सचिवालय सोनीपत मन्जीत सिंह नि0 थाना SVB H रोहतक DT 31.10.19 AT 1.20 PM अज थाना- हस्ब आमद तहरीर हजा के थाना में प्राप्त होने पर मु0 न0 11 दिनांक 31.10.2019 U/S 7 P.C.Act थाना राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्युटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला को बजरीया स्पेशल मैसेन्जर/मेल द्वारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशाल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा ASI हरिशंकर 288 RTK की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से नि0 जगत सिंह न0 84/H की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): MANJEET SINGH Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 62H to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया था)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Kirt Pal Singh

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): ips

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1984				Is Proxitted: Yes
2	Male	1984				Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)